दिनांक 19.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 28/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस स्मृति दिवस–2024 का पूर्वाभ्यास

आज दिनांक 19.10.2024 को रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ में दिनांक 21.10.2024 को आयोजित की जाने वाली 'पुलिस स्मृति दिवस' परेड 2024 का फुल ड्रेस पूर्वाभ्यास किया गया।

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पूर्वाभ्यास परेड का निरीक्षण किया गया। पूर्वाभ्यास परेड की कमाण्ड श्री सन्तोष कुमार मीणा, सेनानायक द्वितीय वाहिनी पीएसी, सीतापुर तथा द्वितीय कमाण्ड श्री अमित कुमावत, एडीसीपी अपराध कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा की गयी। परेड में नागरिक पुलिस, पीएसी, महिला पुलिस, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, यातायात पुलिस, एटीएस, आर0आर0एफ0, एसडीआरएफ एवं एसएसएफ की कुल 12 टीमें सम्मिलित हुई।

पूर्वाभ्यास के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को परेड के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों को दिनांक 21 अक्टूबर 2024 'पुलिस स्मृति दिवस' की महत्ता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन लखनऊ में किया जायेगा। **मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0** उक्त अवसर पर शहीदों को श्रद्धान्जलि अर्पित कर उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे।

दिनांक 19.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 29/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना मिलक

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.10.2024 को थाना मिलक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम परतापुर के जंगल में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राशिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिलक पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर के थाना मिलक पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राशिद निवासी ग्राम भैसोडी थाना मिलक जनपद रामपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना तीतरो

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **लूट के 5380/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 18.10.2024 को थाना तीतरो पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजबाहा तिराहा के पास से 04 अभियुक्तों 1–विनीत उर्फ आदित्य 2–अजय कुमार 3–अश्वनी 4–अभिषेक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, लूट के 5380/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना तीतरो क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तीतरो पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तीतरो पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनीत उर्फ आदित्य निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर नई कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

2–अजय कुमार निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर नई कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

3–अश्वनी निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर नई कालोनी थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

4–अभिषेक निवासी टाण्डा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—लूट के सोने के आभूषण।

2—लूट के 5380/—रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद बदायूं/थाना बिल्सी

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 19.10.2024 को थाना बिल्सी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीनपुर गॉव की ओर जाने वाले मार्ग पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जाने आलम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बिल्सी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जाने आलम निवासी मोहल्ला नम्बर—03 कस्बा व थाना बिल्सी जनपद बदायूं।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद चित्रकूट/थाना बरगढ़

02 अभियुक्त गिरफ्तार

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 18.10.2024 को थाना बरगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अरवाड़ी मोड़ से 02 अभियुक्तों 1–अबरार 2–नीरज को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अबरार निवासी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट।

2–नीरज निवासी आदर्श कालोनी बरगढ़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–03 मोबाइल फोन।

जनपद बिजनौर/थाना हीमपुर दीपा

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 26 हजार 530 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कार आदि बरामद**

दिनॉकः 18.10.2024 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 08 अभियुक्तों 1–शांतनु 2–रवि उर्फ पप्पू 3–मोहित सिंह 4–विशाल 5–मोहित 6–संतोष 7–फिरोज 8–अफजाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 26 हजार 530 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हीमपुर दीपा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के आनवरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त रवि उर्फ पप्पू के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शांतनु निवासी मुस्तफापुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2–रवि उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3–मोहित सिंह निवासी रजुपुरा मन्जू थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

4–विशाल निवासी मदनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

5–मोहित निवासी भूडपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

6–संतोष निवासी डवलेशवर थाना वीटा जनपद सांगला, महाराष्ट्र हाल निवासी मोहल्ला चौहानान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

7–फिरोज निवासी मोहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

8–अफजाल निवासी मोहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 26 हजार 530 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त कार आदि।

जनपद चन्दौली/थाना नौगढ़

- **लगभग 15 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 61 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा**
- **3960/–रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद**

दिनॉकः 18.10.2024 की रात्रि थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौवाघाट पुल के पास से चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–मोन्टी 2–गोल्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 61 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा, 3960/–रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोन्टी के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोन्टी निवासी क्यौली खुर्द थाना अरनियॉ जनपद बुलन्दशहर।

2–गोल्डी निवासी क्यौली खुर्द थाना अरनियॉ जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–लगभग 15 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 61 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा।

2–3960/–रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन।

- **जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/364/302/201 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विमलेश को आजीवन कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अहिरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/328/504/506 भादवि व पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–उमेश 2–अभियुक्ता को 20–20 वर्ष सश्रम कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––